

संख्या: 335/X-4-15/1(161)/2015

प्रेषक,

पीएकेउपात्रो,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख बन राज्यक / नोडल अधिकारी,  
बन भूमि हस्तान्तरण, हन्दिचा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

बन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: ३० मई, २०१६

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में तोली-मैठून से बरतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.3925, हॉ० सिविल बन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3140/1-जी-FP/UK/ROAD/10671/2015 दिनांक 08 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में तोली-मैठून से बरतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.3925, हॉ० सिविल बन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन संग्रामीय को शासनादेश संख्या एफ०८०-११-०९/९८-एफ०८०१० दिनांक 07 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या एफ०८०-११-०९/९८-एफ०८०१० दिनांक 13 फरवरी, 2014 पर निहित प्राधिकारों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रश्नोग करते हुए अद्योतितिवित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा बन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.785 हॉ० सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक पृष्ठारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाप्तित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि बन विभाग के स्थानिक के बाहर है इसे बन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामन्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित बन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामन्तरण की तक्ता शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोदित पृष्ठारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाप्तित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आईएप०स०-566 एवं भारत सरकार पत्र स०-५-३/2007-एफ०८०१० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्रम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो वही द्वुवेधनराशि प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा जमा की जाएगी।
- भारत सरकार पत्र स० ५-३/2007-एफ०८०१० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुभार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निवियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निवि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय के लेखा स०-एस०वी०-25229 कार्परिशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-११ भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा की जाएगी।

- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मातृ उच्चतम न्यायालय के रिट स्पीशन (सिडिल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स०-566 एवं भारत सरकार पत्र स05-३/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निवियों प्रतिपूर्ति पौदारोपण निधि प्रबोग तथा थोजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का लपकर), ब्लाक-11 भूताल सी0जी0ओ0 कम्प्लैक्स, फेज-1, लोडी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पाकिस्ती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक इफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मददार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षेत्रपूरक बुद्धारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्भत स्वीकृति मात्रा होगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाइ से अनुपालन किया जायेगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा बन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अग्रिमेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निधिरित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, धर्मावरण एवं बन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय

(पी0वी0पाज)

अपर राजिव।

संख्या: 335 (1)/X-4-15/1(161)/2015, तददिनांकित।

प्रतीक्षित-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अपर प्रमुख बन संस्कार (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, ५फ0 अस्ट0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- महालेखाकार, लेखा एवं हक्कदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- बन संस्कार, उत्तारी कुमाऊँ गृह, अल्मोड़ा।
- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- प्रभागीय बनाधिकारी, सिक्किम एवं शोधम बन प्रशासन, अल्मोड़ा।
- अधिकारी अभियंता, निर्माण लोक निर्गत विभाग, अल्मोड़ा।
- निदेशक, राष्ट्रीय भूचना केन्द्र (NRC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की कृपया इस जास्तादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कर्ण करें।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

११८

(श्याम सिंह)

उप सचिव।